

107 द० प्र० सु०

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूंटी.

भारत सरकार
नाम
अकुरा मुष्का को

M-72/2018 आदेश पत्रक

26/5/18

अभिलेख संख्या :- एम. 72 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

172
26/5/18

थाना प्रभारी खूंटी के अप्राथमिकी संख्या :- 19/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- पथलगारी को लेकर
विवाद उत्पन्न करने से संबंधित है।

जिससे संभ्रमना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूंटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 30/5/18 को उपस्थापित करें।

26/5/18
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूंटी

- 14/11/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। कामिलेस दिनांक 23/11/19 को रखें।
शेष दो उपस्थित को लक्षण जारी करें।
- 23/11/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। ~~दिनांक~~ 18.04.19
- 13/05/19 दिनांक 13/05/19 को रखें।
- 01/06/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। दिनांक 01/06/2019 को रखें।
- 29/06/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। दिनांक 29/06/19 को रखें।
- 20/07/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। दिनांक 20/7/19 को रखें।
- 17/08/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। दिनांक 17/08/19 को रखें।
- 21/09/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। दिनांक 21/09/19 को रखें।
- 22/10/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। दिनांक 22/10/19 को रखें। 21.09.19
- 30/11/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। दिनांक 30.11.19 को रखें।
- 30/11/19 द्वितीय पक्ष अनुपरिचय। दिनांक 28/12/19 को रखें।
समाप्त को लक्षण होने के लिए जारी करें।
समाप्त की - जारी है। 30/11.4